30-05-2022

अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.02.2022 में (1) उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर के द्वारा माह मार्च 2019 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निरीक्षण, भ्रमण व रात्रि विश्राम करने संबंधी पत्र जिला कलक्टर / जिला कार्यालय को भिजवाये गये की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति (2) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर की वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक की ऑडिट रिपोर्ट की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 1834 दिनांक 28.04.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना चाही जाने पर कार्यालय के पत्रांक/सू.अधि./2022/710 दिनांक 24.03.2022 द्वारा डाक द्वारा सूचित कर दिया गया था कि उक्त सूचना व्यक्तिगत है तथा उक्त सूचना किस प्रकार से लोक कल्याणकारी व आमजन के हित की है प्रार्थना पत्र नहीं दर्शाया गया है अतः चाही गई सूचना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रिपोर्ट में अपील हारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना सरकारी अधिकारी के लिए निर्धारित निरीक्षण, भ्रमण, रात्रि विभाम किए गए उस संबंध में जिला कार्यालय को भिजवाई गई रिपोर्ट व कार्यालय की हुई ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है तथा ये सूचना व्यक्तिगत नहीं है न धारा 8(ड) की [illegible] है अतः हम लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील [illegible] की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested